भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3557

दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

एसएसएमई क्षेत्र का निर्यात बढ़ाना

3557. श्री रमासहायम रघुराम रेड्डीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश से कुल निर्यात में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र का आनुपातिक हिस्सा क्या है;

(ख) क्या निर्यात बढ़ाने के लिए एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहन दिए जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत के कुल निर्यात में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) से संबंधित उत्पादों के निर्यातों के मूल्य के प्रतिशत हिस्से का विवरण निम्नानुसार हैः

वित्तीय वर्ष	एमएसएमई निर्यात योगदान (%)
2021-22	45.03%
2022-23	43.59%
2023-24	45.73%

स्रोतः डीजीसीआइएंडएस

(ख) और (ग) एमएसएमई निर्यात को बढ़ाने के लिए दी जा रही सुविधाएं निम्नानुसार हैंः

(i) एमएसएमई क्षेत्र में उत्पादों और सेवाओं की विपणन क्षमता बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग स्कीम को वर्ष 1996 में लॉंच किया गया है। इस स्कीम के तहत, संगठनों को विदेशों में अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों/क्रेता–विक्रेता बैठकों आदि में एमएसएमई की भेंट यात्रा/सहभागिता और साथ ही प्रौद्योगिकी समावेश, व्यापार के अवसरों की खोज, संयुक्त उद्यमों आदि के लिए भारत में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों/सेमिनारों/कार्यशालाओं के आयोजन में भी सुविधा प्रदान की जाती है। स्कीम में पहली बार निर्यात करने वाले निर्यातकों के क्षमता निर्माण (सीबीएफटीई) घटक के तहत निर्यात पोत लदान पर पहली बार के सूक्ष्म एवं लघु निर्यातकों को प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है, जिनका निर्यात संर्वधन परिषद के साथ पंजीकरण–सह–सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी), निर्यात बीमा प्रीमियम और निर्यात हेतु परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन पर व्यय की हुई लागत के लिए आइईसी कोड/पंजीकरण तीन वर्षों से अधिक का न हो। मंत्रालय ने इन उपायों की प्रतिपूर्ति को लागू करने वाली एजेंसियों के रुप में 20 निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी), निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड (ईसीजीसी) और राष्ट्रीय सूक्ष्म उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआइसी) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ii) देशभर में 65 निर्यात सुविधा केंद्रों (ईएफसी) की स्थापना की गई है, जिनका उद्देश्य एमएसई को उनके उत्पादों और सेवाओं को विदेशी बाजारों में निर्यात करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना है।

(iii) रुपये निर्यात ऋण के पूर्व एवं पश्च शिपमेंट पर ब्याज समकरण स्कीम भी एमएसएमई क्षेत्र में 31.12.2024 तक बढ़ा दी गई है, जिसके लिए कुल 12,788 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

(iv) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीमों के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है, जैसे कि निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआइईएस) और बाजार अभिगम पहल (एमएआइ) स्कीम।

(v) वस्त्र क्षेत्र के निर्यात की श्रम–उन्मुख कुछ वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्रीय शुल्क और करों की छूट (आरओएससीटीएल) स्कीम 07.03.2019 से लागू है।

(vi) व्यापार को सुविधाजनक बनाने और निर्यातकों द्वारा मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के उपयोग को बढ़ाने के लिए उद्गम प्रमाण पत्र के लिए एक सामान्य डिजिटल प्लेटफार्म शुरु किया गया है।

(vii) प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करके इन उत्पादों का निर्यात करने के लिए अवरोधों को दूर करने और जिले में रोजगार सृजित करने के लिए स्थानीय निर्यातकों/विनिर्माताओं को सहायता प्रदान करने के लिए निर्यात हब के रुप में जिले पहल की शुरुआत की गई है।

(viii) सरकार ने 11 सिंतबर, 2024 को ट्रेड कनेक्ट ई–प्लेटफार्म लॉन्च किया है। ट्रेड कनेक्ट ई–प्लेटफार्म अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर एक सूचना और मध्यस्थता मंच है, जो नए और मौजूदा दोनों निर्यातकों के लिए व्यापक सेवाएं प्रदान करने के लिए विदेश में स्थित भारतीय मिशनों और वाणिज्य विभाग और अन्य संगठनों के अधिकारियों को एक साथ लाता है।

*****